

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला पंचायत शाखा)

आदेश

एक ही स्थान पर तीन वर्ष अथवा तीन वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले पंचायत सेवक/पंचायत सचिव का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण एवं पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर किया जाता है:-

क्र०	पंचायत सेवक/पंचायत सचिव का नाम	गृह अंचल	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरित कार्यालय	अभ्युक्ति
1	श्री देवेन्द्र कुमार	रतनी फरीदपुर	घोषी प्रखण्ड	मखदुमपुर प्रखण्ड	
2	श्री विमल कुमार सिन्हा	काको	रतनी फरीदपुर प्रखण्ड	हुलासगंज प्रखण्ड	
3	श्री अनिल कुमार	रतनी फरीदपुर	मखदुमपुर प्रखण्ड	काको प्रखण्ड	
4	श्री अवधेश शर्मा	जहानाबाद	काको प्रखण्ड	हुलासगंज प्रखण्ड	
5	श्री उपेन्द्र शर्मा	रतनी फरीदपुर	काको प्रखण्ड	हुलासगंज प्रखण्ड	
6	श्री अवधेश कुमार	रतनी फरीदपुर	काको प्रखण्ड	मखदुमपुर प्रखण्ड	
7	श्री दिनेश शर्मा	जहानाबाद	काको प्रखण्ड	रतनी फरीदपुर प्रखण्ड	
8	श्री रामकृपाल	कलेर	हुलासगंज प्रखण्ड	घोषी प्रखण्ड	
9	श्री कृष्णा प्रसाद	जहानाबाद	हुलासगंज प्रखण्ड	काको प्रखण्ड	
10	श्री राजदेव प्रसाद	काको	मखदुमपुर प्रखण्ड	रतनी फरीदपुर प्रखण्ड	

2. स्थानांतरित पंचायत सेवक/पंचायत सचिवों को माह जुलाई, 2016 का वेतन स्थानांतरित स्थान पर योगदान करने के पश्चात ही स्थानांतरित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित पंचायत सेवक/पंचायत सचिव को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पंचायत सेवक/पंचायत सचिव अपने जिम्मे संपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का प्रभार प्रतिवेदन तीन प्रति में तैयार करेंगे और प्रभार आदान-प्रदान के पश्चात एक प्रति प्रभार प्रतिवेदन कार्यालय के रक्षी संचिका में सुरक्षित ढंग से रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान किसी भी प्रकार के स्थाई



- अग्रिम/बकाया को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित कर विरमन आदेश निर्गत करेंगे। ससमय प्रभार का आदान-प्रदान कराकर विरमित करना कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी। यदि संबंधित कर्मी प्रभार देने/लेने में लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
4. यदि किसी पंचायत सेवक/पंचायत सचिव द्वारा एक पक्ष के अंदर प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाता है, तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. यदि किसी पंचायत सेवक/पंचायत सचिव को ससमय विरमित नहीं किया जाता है, तो दिनांक 15.07.2016 को स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30/6/16

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

IX-2/16

ज्ञापांक:- फा 858/पं0, दिनांक:- 30.6.2016

- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/अपर समाहर्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- स्थानांतरित सभी पंचायत सेवक/पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- एक प्रति रक्षी संचिका में।

30/6/16

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।